न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 05/2020 दायरा दिनांक 12.03.2020

पीठासीन अधिकारी :– श्री राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

उनवान

1. परसादी पुत्र गज्जू जाति सहरिया निवासी मझारी तहसील शाहबाद जिला–बारां।
2. रामजीलाल पुत्र गज्जू जाति सहरिया निवासी मझारी तहसील शाहबाद जिला–बारां।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. बसन्ती पुत्री गज्जू पत्नि पप्पू जाति सहरिया निवासी बमनगवां तहसील शाहबाद, जिला बारां
2. राधा पुत्री गज्जू पत्नि मोहना जाति सहरिया निवासी बसेली तहसील शाहबाद जिला–बारां
3. सुन्दर वेबा गज्जू जाति सहरिया निवासी मझारी तहसील शाहबाद जिला–बारां
4. मदन पुत्र बंशी जाति सहरिया निवासी मझारी तहसील शाहबाद जिला–बारां
5. रामदयाल पुत्र बंशी जाति सहरिया निवासी मझारी तहसील शाहबाद जिला–बारां
6. मेन्दा पुत्री बंशी पत्नि गज्जू जाति सहरिया निवासी मामोनी तहसील शाहबाद जिला–बारां
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद बारां – राजस्थान

– रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :–

श्री कुवेर यादव, अभिभाषक अपीलान्ट।

एक्स पार्टी रेस्पोडेण्ट।

निर्णय दिनांक 24.03.2022

अपील विरूद्ध इन्तकाल संख्या 626 दिनांक 15.12.2010 ग्राम मझारी

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध दिनांक 15.12.2010 ग्राम मझारी को निरस्त करने बाबत् प्रस्तुत की है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये रेस्पोडेन्ट से रिकार्ड प्रस्तुत करने की तलबी की गई। ग्राम मझारी में खसरा नम्बर 13/4 रकबा 15.00 बीघा, खसरा नम्बर 8/3 रकबा 8.00 बीघा कृषि भूमि स्थित है। खसरा नम्बर 13/4 रकबा 15.00 बीघा के मूल खातेदार अपीलान्ट व रेस्पोडेण्ट 1 व 2 के पिता तथा रेस्पोडेण्ट 3 के पति गज्जू थे तथा खसरा नम्बर 8/3 रकबा 8.00 बीघा के खातेदार अपीलान्ट व रेस्पोडेण्ट क्रम 1 व 2 के पिता तथा रेस्पोडेण्ट 3 के पति का हिस्सा 1/4 तथा रेस्पोडेण्ट [illegible] 5,6 का हिस्सा [illegible]/4 था। गज्जू के तस्दीक किये गये अपीलाधीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:31:37 IST
Reason: SelfAttested

फोती इन्तकाल में राजस्व कर्मियों ने रेस्पोडेण्ट क्रम 1 लगायत 3 के ही नाम दर्ज किये गये जबकि अपीलान्ट्स के पिता गज्जू ही थे

मृतक गज्जू के वारिस निम्न प्रकार है :–

सजरा

गज्जू

पुत्र	पुत्री	पत्नि
1. परसादी 2. रामजीलाल	1. बसन्ती 2. राधा	सुन्दर वेबा

मृतक गज्जू के अपीलान्ट्स पुत्र होकर गज्जू की जायदाद के विरासतन अधिकारी थे अपीलान्ट क्रम 1 व 2 का नाम भी दर्ज किया जाना चाहिए था लेकिन अपीलान्ट्स के नाम दर्ज नहीं किये गये केवल रस्पोडेण्ट क्रम 1, 2 व 3 के नाम ही दर्ज किये गये इन्तकाल संख्या 626 दिनांक 15.12.2010 दर्ज किया गया जो सर्वथा अवैध हिन्दू उत्तराधिकारी कानून के विपरीत होने से निरस्तनीय है। रेस्पोडेण्ट क्रम 1, 2 ने विवादित आराजी को विक्रय करने के लिए खातेदारों का जमीन दिखाना शुरू किया हो अपीलान्ट्स ने दिनांक 03.03.2020 को हल्का पटवारी से नकल जमावन्दी व अपीलाधीन इन्तकाल की नकलें प्राप्त की तब सर्वथा अवैध विधि विरूद्ध अपीलाधीन इन्तकाल का ज्ञान हुआ। तिथि जानकारी से अपील अवधि मध्य पेश है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को ही दौहराया गया।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस एवं पत्रांवली का अवलोकन से पाया कि ग्राम मझारी की आराजी खसरा नम्बर 13/4 रकबा 15.00 बीघा के मूल खातेदार अपीलान्ट व रेस्पोडेण्ट 1 व 2 के पिता तथा रेस्पोडेण्ट 3 के पति गज्जू थे तथा खसरा नम्बर 8/3 रकबा 8.00 बीघा के खातेदार अपीलान्ट व रेस्पोडेण्ट क्रम 1 व 2 के पिता तथा रेस्पोडेण्ट 3 के पति का हिस्सा 1/4 तथा रेस्पोडेण्ट क्रम 4, 5, 6 का हिस्सा 3/4 था। गज्जू के तस्दीक किये गये अपीलाधीन फोती इन्तकाल में रेस्पोडेण्ट क्रम 1 लगायत 3 के ही नाम दर्ज किये गये जबकि अपीलान्ट्स के पिता गज्जू ही थे जो कि अपीलान्ट भी रेस्पोडेण्ट के समकक्ष के हकदार है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 626 ग्राम मझारी निर्णय दिनांक 15.12.2010 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार शाहबाद को इस आदेश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट कि विधिक जांच कर पक्षकारान को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः नामान्तकरण दर्ज कराकर निर्णित करें।

पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर मजमे आम सुनाया गया ।

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:31:37 IST
Reason: SelfAttested